

२०८८

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
 मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बहेड़ी
 वाद संख्या : -02669/2018
 कंप्यटरीकृत वाद संख्या : -T201812130502669
 मो० इकराम खान बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
 अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

२०८८ निर्णय

उक्त वाद में श्री इकराम द्वारा धारा 80 उ.प्र.राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में श्री मो० इकराम ने कहा है कि ग्राम देवरनियों परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली के गाटा संख्या 412 रकवा 0.350ह० पर शिक्षण कार्य के प्रयोग में लाया जा रहा है तथा कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए इस भूमि को अकृषिक घोषित किया जायें।

इस प्रार्थना पत्र के संबंध में जॉच करायी गयी। जॉच आख्या में क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक ने अंकित किया है कि ग्राम देवरनियों परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली के गाटा संख्या 412 रकवा 0.350ह० पर शिक्षार्थ प्रयोग में लाया जा रहा है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि अकृषिक करने हेतु आख्या प्रेसित की है। प्रार्थी राजकीय कोड में जाने के उपरान्त चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किये हैं।

नायब तहसीलदार बहेड़ी ने आख्या में अंकित किया है कि ग्राम देवरनियों परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली के गाटा संख्या 412 रकवा 0.350ह० का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त रकवे में आला हजरत डिग्री कालेज देवरनियों के शिक्षण कक्षों का निर्माण किया जा रहा है। भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजन के लिए नहीं हो रहा है। उक्त गाटा को अकृषिक घोषत किये जाने हेतु आख्या प्रेसित की है। उक्त आख्या को तहसीलदार बहेड़ी द्वारा सम्प्रेषित की है।

अतः उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक वाधा प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

आदेश हुआ कि ग्राम देवरनियों परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली के खतौनी वर्ग फसली 1424-1429 के खाता संख्या 00331 के गाटा संख्या 412 रकवा 0.350ह० को धारा 80 उ.प्र.राजस्व संहिता के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी किया जाये। पत्रावली वाद आक्षयक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक:- १३-०७-१९

उप जिलाधिकारी
 बहेड़ी, बरेली।

पूर्ण शृंखलिये शबाष,

पूर्ण संख्या :

